में जारी हुए।

02/05/023

पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान शिविर रेवाड़ा मे पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष हाजिर। प्रार्थिया स्वयं हाजिर। अप्रार्थी 1, 5 हाजिर। पैरोकार सरकार हाजिर। तहसीलदार शाहपुरा द्वारा जांच रिपोर्ट प्रेषित कर निवेदन किया गया कि ग्राम पहुंनी के खाता संख्या 182 मे दर्ज लाडदेवी पुत्री शंकरलाल जाति महाजन के बजाय सुशिला देवी पुत्री शंकरलाल जाति महाजन दर्ज किया जाना उचित है। पटवार हल्का रेवाड़ा की अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया गया की नामान्तरण संख्या 751 निर्णय दिनांक 21.09.2020 मे उक्त लाड नाम गलत दर्ज हो गया जो सही किया जाना उचित है। जिसे रेकार्ड पर लिया जाता है। प्रार्थिया द्वारा अपना प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने हेतु मजमे आम में निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस का मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज साक्ष्य एवं पटवार हल्का रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थिया का नाम लाडदेवी पुत्री स्वं शंकरलाल जाति महाजन निवासी आरणी के बजाय सुशीलादेवी पुत्री स्व० शंकरलाल जाति महाजन निवासी आरणी है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेज के आधार पर प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थिया का नाम राजस्व रेकार्ड मे लाडदेवी पुत्री स्वं शंकरलाल जाति महाजन निवासी आरणी के बजाय सुशीलादेवी पुत्री स्व. शंकरलाल जाति महाजन निवासी आरणी किये जाने का आदेश दिया जाता है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

तहसीलदार शाहपुरा को आदेशित किया जाता है कि मौजा पहुंनी पटवार हल्का रेवाड़ा की जमाबंदी संवत 2076-77 के खाता संख्या 182 मे दर्ज लाडदेवी पुत्री स्वं शंकरलाल जाति महाजन निवासी आरणी के बजाय सुशीला देवी पुत्री स्व. शंकरलाल जाति महाजन नि० आरणी किया जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भेजी जावे। निर्णय खुले मजमे आम प्रशासन गांवों के संग अभियान शिविर रेवाड़ा में सुनाया जाकर [illegible] गया।

(नीता वसीटा)
सहायक कलेक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeta Vaseeta
Date: 2023.07.07 16:37:15 IST
Reason: SelfAttested